

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2020—श्रावण 23, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020

क्र. एफ-1-6-2020-बाईस-वि-5-स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची एक, दो और चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

**“अनुसूची – एक
(नियम-5 देखिए)**

| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | अभ्यक्तियां |
|------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | प्रमुख अभियंता | 02 | प्रथम-श्रेणी | 141800-214700 | |
| 2 | मुख्य अभियंता (सिविल) | 07 | प्रथम-श्रेणी | 129700-214300 | |
| 3 | अधीक्षण यंत्री (सिविल) | 22 | प्रथम-श्रेणी | 79900-211700 | |
| 4 | कार्यपालन यंत्री (सिविल) | 101 | प्रथम-श्रेणी | 67300-206900 | |
| 5 | कार्यपालन यंत्री (विद्युत) | 02 | प्रथम श्रेणी | 67300-206900 | |
| 6 | सहायक यंत्री (सिविल) | 643 | द्वितीय-श्रेणी | 56100-177500 | |
| 7 | सहायक यंत्री (विद्युत) | 04 | द्वितीय-श्रेणी | 56100-177500 | |
| 8 | प्रबंधक आई.टी. (संविदा) | 01 | द्वितीय-श्रेणी | संविदा रकम के अनुसार | |
| 9 | लेखाधिकारी | 04 | द्वितीय-श्रेणी | 56100-177500 | |

अनुसूची - दो
(नियम-6 देखिए)

| विभाग/ सेवा का नाम | पद का नाम | पदों की संख्या | मध्यप्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) में भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता | | | अभ्युक्तियां |
|--|----------------------------|----------------|---|---|--|--|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिए | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिए | अन्य सेवा से सदस्यों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा 6 (1) (ग) देखिए | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा | प्रमुख अभियंता | 02 | — | 100 | — | |
| | मुख्य अभियंता (सिविल) | 07 | — | 100 | — | |
| | अधीक्षण यंत्री (सिविल) | 22 | — | 100 | — | |
| | कार्यपालन यंत्री (सिविल) | 101 | — | 100 | — | |
| | कार्यपालन यंत्री (विद्युत) | 02 | — | 100 | — | |
| | सहायक यंत्री (सिविल) | 643 | 50 | 50 | — | |
| | सहायक यंत्री (विद्युत) | 04 | 50 | 50 | — | (एक) 35 % पद सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी उप-यंत्रियों से (दो) 10 % पद सिविल इंजीनियरिंग उपाधिधारी उपयंत्रियों से (तीन) 05 % पद मानचित्रकार (सिविल) से मानचित्रकार (सिविल) उपलब्ध नहीं होने की दशा में सिविल इंजीनियरिंग उपाधिधारी उपयंत्रियों से |
| | प्रबंधक आई.टी. (संविदा) | 01 | 100 | — | — | संविदा पर |
| | लेखाधिकारी | 04 | — | — | 100 | प्रतिनियुक्ति पर |

अनुसूची - चार
(नियम-13 देखिए)

| विभाग का नाम | पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | आगामी उच्चतर पद के लिए अर्ह होने हेतु न्यूनतम अनुभव | उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जानी है | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य |
|--|-------------------------------------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा | मुख्य अभियंता (सिविल) | 02 वर्ष | प्रमुख अभियंता | मुख्य सचिव - अध्यक्ष अन्य विभाग से वरिष्ठ प्रमुख सचिव - सदस्य आरक्षित वर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव /विकास आयुक्त -सदस्य सचिव |
| | अधीक्षण यंत्री (सिविल) | 05 वर्ष | मुख्य अभियंता (सिविल) | - तदैव - |
| | कार्यपालन यंत्री (सिविल) | 05 वर्ष | अधीक्षण यंत्री (सिविल) | अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य - अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव - सदस्य सचिव |
| | सहायक यंत्री (सिविल) | 06 वर्ष | कार्यपालन यंत्री (सिविल) | - तदैव - |
| | सहायक यंत्री (विद्युत) | 06 वर्ष | कार्यपालन यंत्री (विद्युत) | - तदैव - |
| | उप-यंत्री (सिविल उपाधिधारी) | 08 वर्ष | सहायक यंत्री (सिविल) | - तदैव - |
| | उप-यंत्री (सिविल डिप्लोमाधारी) | 10 वर्ष | सहायक यंत्री (सिविल) | - तदैव - |
| | मानचित्रकार (सिविल) | 12 वर्ष | सहायक यंत्री (सिविल) | - तदैव - |
| | उप-यंत्री (विद्युत उपाधिधारी) | 08 वर्ष | सहायक यंत्री (विद्युत) | - तदैव - |
| | उप-यंत्री (विद्युत डिप्लोमाधारी) | 10 वर्ष | सहायक यंत्री (विद्युत) | - तदैव - |
| | मानचित्रकार (विद्युत) | 12 वर्ष | सहायक यंत्री (विद्युत) | - तदैव - |

टीप :-

- केवल वे ही सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/वास्तुविद अभियांत्रिकी में कम से कम तीन वर्ष का डिप्लोमा या उसी ब्रांच में उच्चतर अर्हता हो।

2. केवल वे ही सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री (विद्युत) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल अभियांत्रिकी में कम से कम तीन वर्ष का डिप्लोमा या उसी ब्रांच में उच्चतर अर्हता हो।
3. सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि धारण करने वाले केवल वे ही व्याक्त अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर या किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
4. केवल अधीक्षण यंत्री (सिविल) ही मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

No. F-1-6-2020-XXII-D-5-Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Rural Engineering Service, (Gazetted) Recruitment Rules, 1986, namely:—

AMENDMENTS

In the Said rules –

For Schedule I, II and IV the following schedules shall be substituted, namely:-

Schedule - I (See Rule-5)

| No. | Name of Posts included in the service | No. of posts | Classification | Pay Scales | Remarks |
|-----|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Engineer - in - Chief | 02 | Class - I | 141800-214700 | |
| 2 | Chief Engineer (Civil) | 07 | Class - I | 129700-214300 | |
| 3 | Superintending Engineer (Civil) | 22 | Class - I | 79900-211700 | |
| 4 | Executive Engineer (Civil) | 101 | Class - I | 67300-206900 | |
| 5 | Executive Engineer (Electrical) | 02 | Class - I | 67300-206900 | |
| 6 | Assistant Engineer (Civil) | 643 | Class - II | 56100-177500 | |
| 7 | Assistant Engineer (Electrical) | 04 | Class - II | 56100-177500 | |
| 8 | Manager I.T. (contracts) | 01 | Class - II | As per Contract Amount | |
| 9 | Account officer | 04 | Class - II | 56100-177500 | |

Schedule - II (See Rule-6)

| Name of Department / Service | Name of Post | Number of posts | Percentage of the number of the post to be filled in the Madhya Pradesh Rural Engineering Service (Gezatted) | | | Remarks |
|--|---------------------------------|-----------------|--|--|--|---------|
| | | | By direct recruitment [vide rule 6 (1) (a)] | By promotion of the members of the service [vide rule 6 (1) (b)] | By Temporary transfer of the member from other service [vide rule 6 (1) (c)] | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Panchayat and Rural Development Department / Rural Engineering Service | Engineer-in-Chief | 02 | - | 100 | - | |
| | Chief Engineer (Civil) | 07 | - | 100 | - | |
| | Superintending Engineer (Civil) | 22 | - | 100 | - | |
| | Executive Engineer (Civil) | 101 | - | 100 | - | |
| | Executive Engineer (Electrical) | 02 | - | 100 | - | |

| Name of Department / Service | Name of Post | Number of posts | Percentage of the number of the post to be filled in the Madhya Pradesh Rural Engineering Service (Gezatted) | | | Remarks | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|--|--|---|--|
| | | | By direct recruitment [vide rule 6 (1) (a)] | By promotion of the members of the service [vide rule 6 (1) (b)] | By Temporary transfer of the member from other service [vide rule 6 (1) (c)] | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | Assistant Engineer (Civil) | 643 | 50 | 50 | - | | |
| | | | | | | (I) 35 % Posts from Civil Engineering diploma holder Sub- Engineers (II) 10 % Posts from Civil Engineering Degree holder Sub- Engineers (III) 05 % Post form (Civil) Draughtsman | In case Draughtsman (Civil) are not available, then by Civil Engineering Degree holder Sub- Engineer |
| | Assistant Engineer (Electrical) | 04 | 50 | 50 | - | | |
| | | | | | | (I) 35 % Posts from Electrical Engineering diploma holder Sub- Engineers (II) 10 % Posts from Electrical Engineering Degrce holder Sub- Engineers (III) 05 % Post from Draughtsman (Electrical) | In case Draughtsman (Electrical) are not available, then from Electrical Engineering Degree holder Sub- Engineer |
| | Manager I.T. (contracts) | 01 | 100 | - | - | On Contract | |
| | Account officer | 04 | - | - | 100 | On Deputation | |

**Schedule - IV
(See Rule-13)**

| Name of Department | Name of the post from which promotion is to be made | Minimum experience for being qualified for promotion to the next higher post | Name of the post to which promotion is to be made | Member of the Departmental promotion committee |
|--|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Panchayat and Rural Development Department / Rural Engineering Service | Chief Engineer (Civil) | 02 Year | Engineer-in-Chief | Chief Secretary Senior principal Secretary From other Department Principal Secretary/Secretary of reserved category Principal Secretary/Secretary/ Development Commissioner of the Department - Chairman - Member - Member - Member Secretary |
| | Superintending Engineer (Civil) | 05 Year | Chief Engineer (Civil) | -do- |

| Name of Department | Name of the post from which promotion is to be made | Minimum experience for being qualified for promotion to the next higher post | Name of the post to which promotion is to be made | Member of the Departmental promotion committee |
|--|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Panchayat and Rural Development Department / Rural Engineering Service | Executive Engineer (Civil) | 05 Year | Superintending Engineer (Civil) | Chairman of the Public Service Commission or any member nominated by him - Chairman Principal Secretary/ Secretary/ Secretary of reserved category - Member Development Commissioner/ Principal Secretary - Member Secretary |
| | Assistant Engineer (Civil) | 06 Year | Executive Engineer (Civil) | -do- |
| | Assistant Engineer (Electrical) | 06 Year | Executive Engineer (Electrical) | -do- |
| | Sub-Engineer (Civil Degree holders) | 08 Year | Assistant Engineer (Civil) | -do- |
| | Sub-Engineer (Civil Diploma holders) | 10 Year | Assistant Engineer (Civil) | -do- |
| | Draughtsman (Civil) | 12 Year | Assistant Engineer (Civil) | -do- |
| | Sub-Engineer (Electrical Degree holders) | 08 Year | Assistant Engineer (Electrical) | -do- |
| | Sub-Engineer (Electrical Diploma holders) | 10 Year | Assistant Engineer (Electrical) | -do- |
| | Draughtsman (Electrical) | 12 Year | Assistant Engineer (Electrical) | -do- |

Note :-

- 1- Only those Assistant Engineer shall be eligible for promotion to the post of Executive Engineer (Civil) who possesses at least three year Diploma in Civil/ Architecture Engineering from the Institute recognized by State Government or Higher Qualification in same Branch.
- 2- Only those Assistant Engineer shall be eligible for promotion to the post of Executive Engineer (Electrical) who possesses at least three year Diploma in Electrical/ Mechanical Engineering from the Institute recognized by State Government or Higher Qualification in same Branch.
- 3- Only the persons possessing a Degree in Civil Engineering shall be eligible for promotion to the post of the Superintending Engineer (Civil) or any higher post.
- 4- Only Superintending Engineer (Civil) shall be eligible for promotion to the post of the Chief Engineer.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

एफ 2-4-2020-सात-7

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2020

नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(चवालीस) तथा (चवालीस-क) के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 178 तथा धारा 178-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है और मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 199-6477-सात-न (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960, को अतिष्ठित करते हुए और उक्त संहिता की धारा 258 की उप धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिसके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नियमों के निम्नलिखित प्रारूप पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त नियमों के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने पर या उसके पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल द्वारा प्राप्त किया जाए, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नियमों का प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020 है।
(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं-**(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
(ख) "प्रारूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप;
(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची; तथा
(घ) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं तथा संहिता में परिभाषित किए गए हैं वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए कमशः दिए गए हैं।

3. विभाजन के लिए आवेदन—(1) सह-खातेदार द्वारा खाते में अपने हिस्से के विभाजन के लिए धारा 178 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्ररूप-एक में होगा।

(2) भूमिस्वामी द्वारा अपने खाते के विभाजन के लिए धारा 178-क के अधीन आवेदन प्ररूप-दो में होगा।

4. हितबद्ध पक्षकारों को सूचना तथा उद्घोषणा—(1) धारा 178 के अधीन खाते के विभाजन के लिए आवेदन के मामले में तहसीलदार सह-खातेदारों को सूचना जारी करेगा।

(2) धारा 178-क के अधीन भूमिस्वामी के जीवनकाल में भूमि के विभाजन के लिए आवेदन के मामले में तहसीलदार आवेदक भूमिस्वामी के विधिक वारिसों को सूचना जारी करेगा।

(3) उप-नियम (1) तथा (2) के अधीन सूचना प्ररूप-तीन में जारी की जाएगी और सूचना में विनिर्दिष्ट किसी दिन को, जो सूचनाएं जारी करने के दिनांक से पंद्रह दिन से कम या पैंतालीस दिन से अधिक का नहीं होगा, सह-खातेदारों या उनके विधिक वारिसों से तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने और अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(4) तहसीलदार प्ररूप-चार में उद्घोषणा भी जारी करेगा।

(5) ऐसी सूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रकिया) नियम, 2019 के भाग दो के उपबंधों के अनुसार जारी तथा तामील की जाएगी और ऐसी उद्घोषणा उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।

5. आवेदन का निरस्त किया जाना— यदि तहसीलदार को आवेदक और सह-खातेदारों या विधिक वारिसों तथा उसके समक्ष उपस्थित अन्य व्यक्तियों की सुनवाई के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि विभाजन को नामंजूर करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा आवेदन निरस्त करेगा।

6. खाते का विभाजन—(1) धारा 178 के अधीन किसी मामले में, यदि तहसीलदार आवेदन निरस्त नहीं करता है, तो वह विभाजन को कार्यान्वित कराने हेतु स्वतः या ऐसे अभिकरण द्वारा

जिसे वह नियुक्त करे, अग्रसर होगा। जहां तक संभव हो अखण्डित सर्वेक्षण संख्याओं का आबंटन किया जाएगा और उनके उपखण्ड करने का प्रश्रय केवल बिरले मामलों में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, प्रत्येक पक्षकार को भूमि के संगठित क्षेत्र आबंटित किये एवं यह सुनिश्चित करने में सावधानी रखना चाहिये कि प्रत्येक पक्षकार को आबंटित क्षेत्र की उत्पादन क्षमता तथा बाजार मूल्य, खाते में उसके हिस्से के अनुपात में हो। यदि खाते में भूमिस्वामियों के हिस्से अधिकार अभिलेख या जमाबंदी में अभिलिखित विवरणों के आधार पर खेत पर चिन्हित तथा सीमांकित किये जा सकते हों, तो तहसीलदार ऐसे विवरणों के अनुसार खाते का विभाजन करेगा:

परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत किया गया विभाजन विलेख प्रस्तुत किया जाता है तो तहसीलदार विभाजन विलेख की वैधता निश्चित करने के उपरांत ऐसे विभाजन विलेख के अनुसार विभाजन कार्यान्वित करेगा।

(2) धारा 178—क किसी अधीन के मामले में, यदि तहसीलदार आवेदन निरस्त नहीं करता है, तो वह यथास्थिति, खाते या उसके भाग में, धारा 164 के अनुसार विधिक वारिसों के हिस्से अभिनिश्चित करेगा और तब विभाजन को कार्यान्वित कराने हेतु स्वतः या ऐसे अभिकरण द्वारा जिसे वह नियुक्त करे, अग्रसर होगा। जहां तक संभव हो, अखण्डित सर्वेक्षण संख्याओं का आबंटन किया जाएगा और उनके उपखण्ड करने का प्रश्रय केवल बिरले मामलों में लिया जाना चाहिये। जहां तक संभव हो, प्रत्येक पक्षकार को भूमि के सुगठित क्षेत्र आबंटित किए जाना चाहिये एवं यह सुनिश्चित करने में सावधानी रखना चाहिये कि प्रत्येक पक्षकार को आबंटित क्षेत्र की उत्पादन क्षमता तथा बाजार मूल्य, खाते में उसके हिस्से के अनुपात में हो:

परंतु यदि खाता आवेदक भूमिस्वामी की स्वअर्जित संपत्ति है और ऐसा भूमिस्वामी खाते का प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख प्रस्तुत करता है और कोई पक्षकार उसके संबंध में आपत्ति नहीं उठाता है या उठाई गई आपत्ति विचार में लेकर तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दी जाती है, तो यथास्थिति, खाते के ऐसे प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या विभाजन विलेख के अनुसार खाते का विभाजन किया जाएगा।

(3) जहां उप-नियम (1) या (2) में प्रस्तुत किए गए फर्द बंटवारे या विभाजन विलेख में मार्गाधिकार और धारा 131 में उल्लिखित अन्य प्राइवेट सुखाचार से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट हों, वहां तहसीलदार अपने आदेश में ऐसे प्रावधान अभिलिखित करेगा।

(4) किसी सर्वेक्षण संख्यांक का विभाजन मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के अध्याय-दो के भाग-ग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

7. विभाजन का आदेश पारित करना—(1) विभाजन पूर्ण हो जाने के पश्चात् तहसीलदार उन आपत्तियों पर, जो पक्षकार करें, सुनवाई करेगा और या तो विभाजन में संशोधन या पुष्टि करते हुए आदेश पारित करेगा।

(2) विभाजन ऐसे संशोधन अथवा पुष्टि की तारीख के अगले कृषि वर्ष के प्रारंभ से प्रभावी होगा।

8. निर्धारण का प्रभाजन— विभाजन के पश्चात् खातों का निर्धारण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

9. मामला बंद करने के पूर्व पूर्ण की जाने वाली कार्रवाईयां— मामला बंद करने के पूर्व, तहसीलदार निम्नलिखित कार्रवाईयां पूर्ण करवाएगा—

(क) नियम 6 के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश के अनुसार खसरे में की प्रविष्टियों में शुद्धियां करवाना;

(ख) नियम 6 के उप-नियम (4) के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक के उपविभाजन के मामले में नक्शों में शुद्धियां करवाना;

(ग) नई भू-अधिकार पुस्तिकायें तैयार करवाना; तथा

(घ) प्रत्येक पक्षकार को उसके आदेश की प्रति, अद्यतन खसरा, नक्शा तथा नई भू-अधिकार पुस्तिका का निःशुल्क प्रदान करना।

10. निरसन तथा व्यावृत्ति— (1) अधिसूचना क्रमांक 199-6477-सात-न(नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा बनाए गए खाते के विभाजन संबंधी नियम एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन से निरसित नियमों के किसी उपबंध के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा उसके अधीन सम्यकरूप से की गई किसी बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका ऐसा प्रभाव होगा मानो वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात हो।

प्ररूप - एक

[नियम 3 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020

खाते के विभाजन के लिये आवेदन

प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....जिला.....

मध्यप्रदेश।

मैं/हम..... (नाम) एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 178 के अधीन नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार खाते में के मेरे/अपने हिस्से के विभाजन के लिये निवेदन करता हूँ/करते हैं :-

1. खाते के विवरण जिसका विभाजन किया जाना है :-

पटवारी हल्का कमांक/सेक्टर कमांक.....ग्राम/नगर खाता कमांक.....

| अनुक्रमांक | खाते में के सर्वेक्षण संख्यांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | भू-राजस्व (रुपए में) | खाते में आवेदक का हिस्सा |
|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| | | | | |

2. आवेदक सहित खाते के सभी सह-खातेदारों के विवरण :-

| अनुक्रमांक | सह-खातेदार का नाम, माता/पिता/पति/अभिभावक का नाम, लिंग तथा उम्र | खाते में हिस्सा | पता तथा मोबाईल फोन नम्बर | अभ्युक्तियां |
|------------|--|-----------------|--------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| | | | | |

टीप:- ऐसे मामले में जिसमें सह-खातेदार अपने-अपने हिस्सों के विभाजन पर सहमत हों, उन्हें इस आवेदन के साथ उन सभी के हस्ताक्षरयुक्त खाते का प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख प्रस्तुत करना चाहिए।

3. जमा की गई *फीस के ब्यौरे

(रूप में)

| राशि अंकों में | राशि शब्दों में | जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

4. अन्य कोई जानकारी जो आवेदक देना चाहे :-

.....

.....

.....

.....

.....

घोषणा

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....,एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे/हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे/हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

संलग्नकों की सूची:-

1. ग्राम जमाबंदी (खतौनी) या अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि
2. आवेदक की पहचान संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि
3. प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख (रूपर टीप देखें)
4. कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विवरण दें)

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम
आवेदक सहखातेदार.....

*टीप-फीस से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित मामले की फीस।

प्ररूप -दो
[नियम 3 (2) देखिए]
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020

भूमिस्वामी द्वारा जीवन काल में भूमि के विभाजन के लिये आवेदन

प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार
 तहसील.....जिला.....
 मध्यप्रदेश।

मैं/हम..... (नाम) एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 178-क के अधीन मेरे अपने विधिक वारिसों के बीच मेरे/अपने जीवन काल के दौरान मेरे/ अपने खाते का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार विभाजन के लिये निवेदन करता हूँ/करते हैं :-

1. खाते के विवरण जिसका विभाजन किया जाना है

पटवारी हल्का कमांक/सेक्टर कमांक.....ग्राम/नगर

खाता कमांक.....

| अनुक्रमांक | खाते में के सर्वेक्षण संख्यांक | | | आवेदक के खाते का विभाजन | | |
|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---|----------|------------------------|
| | सर्वेक्षण संख्यांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | भू-राजस्व (रुपए में) | आवेदक और उसके विधिक वारिसों के मध्य हिस्से का प्रभाजन | प्रतिशत* | क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | 1. खाते में आवेदक का हिस्सा | | |
| | | | | 2. आवेदक द्वारा प्रतिधारित किया जाने वाला हिस्सा | | |
| | | | | 3. विधिक वारिसों के बीच विभाजित किया जाने वाला हिस्सा | | |

*प्रतिशत से अभिप्रेत है खाते का प्रतिशत।

2. आवेदक और उसके विधिक वारिसों के विवरण :-

| अनुक्रमांक | आवेदक/विधिक वारिस का नाम, माता/पिता/पति/अभिभावक का नाम, लिंग तथा उम्र | आवेदक से संबंध | पता तथा मोबाईल फोन नम्बर | अभ्युक्तियां |
|------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. |(आवेदक) | स्वयं | | |

टीप:- यदि खाता आवेदक भूमिस्वामी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो तो ऐसा भूमिस्वामी आवेदन के साथ खाते का प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख प्रस्तुत कर सकता है।

3. जमा की गई *फीस के ब्यौरे :-

(रूप में)

| राशि अंको में | राशि शब्दों में | जमा की गई *फीस की रसीद के विवरण |
|---------------|-----------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

4. अन्य कोई जानकारी जो आवेदक देना चाहे

.....

.....

.....

घोषणा

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी....., पता (डाक का पूरा पता)मोबाइल नंबर.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे/हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे/हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

संलग्नकों की सूची :-

1. ग्राम जमाबंदी (खतौनी) या अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि
2. आवेदक की पहचान संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि
3. प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख (ऊपर टीप देखें)
4. कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विवरण दें)

दिनांक

आवेदक भूमिस्वामी के हस्ताक्षर

स्थान

नाम

***टीप-**फीस से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित मामले की फीस।

प्ररूप -तीन

[नियम 4 (3) देखिए]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020

सूचना

समक्षमें स्थान.....

प्रकरण क्रमांक.....

प्रति.....

.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी ग्राम/नगर.....

.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....

.....जिला.....

जब किपुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी ग्राम/नगर.....

.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....

.....जिला.....ने इस न्यायालय के समक्ष नीचे विनिर्दिष्ट खाते में के अपने

हिस्से के विभाजन के लिए सह-खातेदार के रूप में आवेदन किया है।

या

नीचे विनिर्दिष्ट अपने खाते या उसके अंश के, अपने जीवनकाल में अपने विधिक वारिसों के बची, विभाजन के लिए भूमिस्वामी के रूप में आवेदन किया है।

(जो लागू न हो उसे, काट दें)

और जब कि उक्त खाते का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है, एवं सुनवाई की तारीख

20.....स्थान.....पर बजे नियत की गई है। आपको एतद्वारा सूचित किया

जाता है कि आप या तो स्वतः या विधिक व्यवसायी या मान्यताप्राप्त अभिकर्ता के माध्यम से नियत तारीख को उपस्थित हों और अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, तो प्रस्तुत करें।

आपके उपस्थित नही होने पर एवं आपत्तियां प्रस्तुत नही कर पाने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि आपको कोई उक्त विभाजन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

खाते के विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....ग्राम/नगर का नाम.....

| खाता क्रमांक | सर्वेक्षण संख्यांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | भू-राजस्व (रुपए में) |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

मुहर

दिनांक.....20

तहसीलदार

प्ररूप -चार

[नियम 4 (4) देखिए]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020

उद्घोषणा

समक्ष.....

स्थान.....

प्रकरण क्रमांक.....

जब किपुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी ग्राम/नगर.....
पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....
जिला.....ने इस न्यायालय के समक्ष नीचे विनिर्दिष्ट खाते में के अपने
 हिस्से के विभाजन के लिए सह-खातेदार के रूप में आवेदन किया है।

या

नीचे विनिर्दिष्ट अपने खाते या उसके अंश के, अपने जीवनकाल में अपने विधिक वारिसों में,
 विभाजन के लिए भूमिस्वामी के रूप में आवेदन किया है।

(जो लागू न हो, उसे काट दें)

और जब कि उक्त खाते का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है, एवं सुनवाई की तारीख.....
 20.....स्थान.....परबजे नियत की गई है।

उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि
 वे या तो स्वतः या विधिक व्यवसायी या मान्यताप्राप्त अभिकर्ता के माध्यम से नियत तारीख को
 उपस्थित हों और अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, तो प्रस्तुत करें।

आपके उपस्थित नहीं होने पर एवं आपत्तियां को प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में,
 किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

खाते के विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....ग्राम/नगर का नाम.....

| खाता क्रमांक | सर्वेक्षण संख्यांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | भू-राजस्व (रुपए में) |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

मुहर

तहसीलदार

दिनांक...11/8/2020

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2020

क्र. एफ-2-4-2020-सात-शा-7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-4-2020-सात-शा-7, दिनांक 11 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत पाण्डेय, अपर सचिव.

F-2-4-2020-VII-Sec 7.

Bhopal, the 11th August 2020

NOTICE

The following draft of rules which the State Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xliv) and (xliv-a) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with section 178 and section 178-A of the said Code and in supersession of this Department's (i) Notification – No. 199-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January 1960, published in Madhya Pradesh Rajpatra dated 22nd January 1960, is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Krishi Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "Schedule" means a schedule appended to these rules; and

(d) "Section" means a section of the Code.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code.

3. Application for partition.- (1) An application by a co-tenure-holder for partition of his share in holding under sub-section (1) of Section 178 shall be in Form I.

(2) An application by a Bhumiswami, for partition of his holding, under sub-section (1) of section 178-A shall be in Form II.

4. Notice to interested parties and proclamation.- (1) In case of an application for partition of holding under Section 178 the Tahsildar shall issue notice to the co-tenure-holders.

(2) In case of an application for partition of land in life time of Bhumiswami under Section 178-A, the Tahsildar shall issue notice to the legal heirs of the applicant Bhumiswami.

(3) The notice under sub-rule (1) and (2) shall be issued in Form III requiring the co-tenure-holders or their legal heirs to appear before the Tahsildar and to state their objections, if any, on a day to be specified in the notice, which shall not be less than fifteen or more than forty five days from the date of issue of the notices.

(4) The Tahsildar shall also issue a proclamation in Form IV.

(5) Such notice shall be issued and served in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019 and such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of said rules.

5. Rejection of application.- If, after hearing the applicant and the co-tenure-holders or legal heirs and any other persons who appear before him, it appears to the Tahsildar, that there is sufficient reason for disallowing the partition, he shall, by order in writing, reject the application.

6. Partition of holding.— (1) In a case under Section 178, if the Tahsildar does not reject the application, he shall proceed to effect the partition either personally or through such agency as he may appoint. So far as practicable, whole survey numbers shall be allotted and recourse to sub-division should be taken only in rare cases. So far as possible compact areas of land should be allotted to each party and care should be taken to ensure that the productivity and the market value of the area allotted to each party is in proportion to his share in the holding. If the shares of Bhumiswamis in the holding can be identified and demarcated on field on the basis of particulars recorded in the Record of Rights or Jamabandi, the Tahsildar shall partition the holding as per such particulars:

Provided that if a partition deed registered in accordance with the provisions of Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908) is submitted, the Tahsildar shall, after ascertaining the validity of the partition deed, effect partition as per such partition deed.

(2) In a case under Section 178-A, if the Tahsildar does not reject the application, he shall determine the shares of the legal heirs in the holding or part thereof, as the case may be, in accordance with Section 164 and then proceed to effect the partition either personally or through such agency as he may appoint. So far as practicable, whole survey numbers shall be allotted and recourse to sub-division should be taken only in rare cases. So far as possible compact areas of land should be allotted to each party and care should be taken to ensure that the productivity and the market value of the area allotted to each party is in proportion to his share in the holding:

Provided that if the holding is self-acquired property of the applicant Bhumiswami and such Bhumiswami submits a proposed partition of holding (*furd batwara*) or a registered partition deed and no party raises objection thereto or the objections raised are considered and rejected by the Tahsildar the holding shall be partitioned as per such proposed partition of holding (*furd batwara*) or partition deed as the case may be.

(3) Where the partition deed or the *furd batwara*, submitted in sub-rule (1) or (2) contains provisions with regard to matter of rights of way and other private

easements mentioned in Section 131, the Tahsildar shall record such provisions in his order.

(4) Division of a survey number shall be made in accordance with the provisions contained in Part – C of Chapter II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020.

7. Passing order of partition.- (1) After the partition has been completed the Tahsildar shall hear objections which the parties may make and shall pass an order either by amending or confirming the partition.

(2) The partition shall take effect from the commencement of the agricultural year next following the date of such amendment or confirmation.

8. Apportionment of assessment.- The assessment of the holdings after the partition shall be done as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ka Nirdharan Tatha Punarnirdharan) Niyam, 2018.

9. Actions to be completed before closing the case- Before closing the case, the Tahsildar shall cause to be completed the following actions-

- (a) correcting the entries in Khasra in accordance with the order passed by him under Rule 6;
- (b) in case of sub-division of a survey number under sub-rule (4) of Rule 6, correcting the maps;
- (c) preparing new Bhu-Adhikar pustikas; and
- (d) giving copy of his order, updated Khasra, map and new Bhu-Adhikar Pustika to each party free of cost.

10. Repeal and savings.- (1) Rules regarding Partition of Holding made vide Notification – No. 199-6477-VII-N (Rules) dated the 6th January, 1960 are hereby repealed.

(2) Such repeal shall not affect the previous operation of any provision of the repealed rules or anything duly done thereunder and shall have effect as if it were done under the corresponding provisions of these rules.

FORM - I

[See Rule 3 (1)]

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanbita (Krishri Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020**APPLICATION FOR PARTITION OF HOLDING**

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar

Tahsil District

Madhya Pradesh.

I/We(name) hereby, request for partition of my / our share in holding under section 178 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) as per the particulars given below.

1. Particulars of holding to be partitioned

Patwari halka No. / Sector No. ... Village/ Town.....Holding No.

| S. No. | Survey numbers in the holding | Area (in hectare) | Land revenue (in rupees) | Applicant's share in the holding |
|--------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

2. Particulars of all co-tenure holders of the holding including applicants

| S. No. | Co-tenure holder's name, mother/ father/ husband/ guardian's name, gender and age | Share in holding | Address and mobile phone number | Remarks |
|--------|---|------------------|---------------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

Note:- In case the co-tenure holders agree on the distribution of their respective shares, they should submit a *furd Batwara*' (proposed partition) to be signed by all of them, or a registered partition deed with this application

3. Details of *fee deposited

(in Rupees)

| Amount in figures | Amount in words | Details of the receipt of the fee deposited |
|-------------------|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

4. Any other information which the applicant wants to give

.....

DECLARATION

I/We.....son/daughter/wife of
 hereby, declare that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our
 knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case
 of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

List of Enclosures : -

1. Copy of Village Jamabandi (Khatoni) or Record of Right.
2. Copy of identity document of applicant
3. Proposed partition (*Furd batwara*) or registered partition deed (see note above)
4. Any other documents (Please give particulars)

Date

Place

Signature

Name

Applicant co-tenure holders

.....
 *Note- Fee means case fee required to pay under rule 121 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva
 Sanhita (Rajasva Nyayalayon ki Prakriya) Niyam, 2019

FORM - II

[See Rule 3 (2)]

The Madhya Pradesh Bhū-Rajāsva Sanhita (Kriṣhri Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020**APPLICATION FOR PARTITION OF LAND IN LIFE TIME BY BHUMISWAMI**

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar
 Tahsil District
 Madhya Pradesh.

I/We(name), hereby, request for partition of my / our holding during my / our life time among my/our legal heirs under section 178-A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) as per the particulars are given below..

1. Particulars of holding to be partitioned

Patwari halka No. / Sector No. Village/ Town..... Holding No.

| S. No. | Survey numbers of the holding | | | Partition of applicant's holding | | |
|--------|-------------------------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|
| | Survey No. | Area (Ha.) | Land revenue (Rs.) | Apportionment of share between the applicant and his legal heirs | Percentage* | Area (Ha.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | 1. Applicant's share in the holding | | |
| | | | | 2. Share to be retained by the applicant | | |
| | | | | 3. Share to be partitioned among legal heirs | | |

* Percentage means the percentage of the holding.

2. Particulars of the applicant and his legal heirs

| S. No. | Applicant / Legal heir's name, mother/ father/ husband/ guardian's name, gender and age | Relationship with applicant | Address and mobile phone number | Remarks |
|--------|---|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | (Applicant) | Self | | |

Note:- If the holding is self-acquired property of the applicant Bhumiswami such Bhumiswami may submit a proposed partition of holding (*furd batwara*) or a registered partition deed

3. Details of *fee deposited

(in Rupees)

| Amount in figures | Amount in words | Details of the receipt of the *fee deposited |
|-------------------|-----------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

4. Any other information which the applicant wants to give

.....

DECLARATION

(1) I/We.....son/daughter/wife of address (full mailing address) mobile No.hereby, declare (s) that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

List of Enclosures : -

1. Copy of Village Jamabandi (Khatoni) or Record of Right.
2. Copy of identity document of applicant
3. Proposed partition (*Furd Batwara*) or registered partition deed (see note above)
4. Any other documents (Please give particulars)

Date

Place

Signature of applicant Bhumiswami)

Name

.....
 *Note- Fee means case fee required to pay under rule 121 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhit (Rajasva Nyayalayon ki Prakriya) Niyam, 2019

FORM - III

[See Rule 4 (3)]

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Krishri Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020**Notice**

Before at.....

Case no.....

To.....

.....son/daughter/wife of.....resident of Village/Town Patwari
Halka No. /Sector No. Tahsil..... District.....Whereasson ofresident of village/town Patwari Halka No.
/Sector No. TahsilDistrict..... has applied to this court
as a co-tenure holder for partition of his share in the holding specified below.

or

as a Bhumiswami for partition of his holding specified below or part thereof in his lifetime
amongst his legal heirs.*(strike out what is not applicable)*

And whereas it is proposed to partition the said holding and the date of hearing has been fixed for.....20....at..... O'clock at..... you are hereby informed that you should appear either personally or through a legal practitioner or recognised agent on the date fixed and state your objections, if any.

In the event of your failure so to appear and put forth your objections, it will be assumed that you have no objection to the said partition.

Particulars of the holding

Patwari halka No. /Sector No. Name of Village / Town

| Holding No. | Survey No. | Area (in hectare) | Land revenue (in rupees) |
|-------------|------------|-------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

SEAL

Dated.....20

Tahsildar

FORM - IV

[See Rule 4 (4)]

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Krishri Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020**Proclamation****Before** **at.....**

Case No.....

Whereasson/daughter/wife ofresident of village/town
Patwari Halka No. /Sector No. TahsilDistrict..... has
applied to this court as a co-tenure holder for partition of his share in the holding specified
below.

or

as a Bhumiswami for partition of his holding specified below or part thereof in his lifetime
amongst his legal heirs.

(strike out what is not applicable)

And whereas it is proposed to partition the said holding and the date of hearing has been
fixed for.....20....at..... O'clock at.....

All persons who are interested in the said holding are hereby informed that they should
appear either personally or through a legal practitioner or recognised agent on the date fixed
and state their objections, if any;

In the event of failure so to appear and put forth the objections on the date and the place
mentioned above no objection will be considered.

Particulars of the holding

Patwari halka No. /Sector No. Name of Village / Town

| Holding No. | Survey No. | Area (in hectare) | Land revenue (in rupees) |
|-------------|------------|-------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

SEAL

Dated.....20

Tahsildar

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.